

# आदेश

तिथि  
Apr 17 2023

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा धैया थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
122	4247	0 एकड़, 2.48 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
RAKESH KUMAR	पिता	RAMESH SHARMA
MANOJ RAY THROUGH	पिता	LATE NAKUL RAY
UMESH RAI THROUGH	पिता	LATE NAKUL RAI
KASHI RAI THROUGH	पिता	LATE MAKARDAM RAI
RAMESH RAI THROUGH	पिता	LATE NAKUL RAI
GURU SINGH THROUGH	पिता	LATE MAKARDAM SINGH

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2023/DHAN/437/BK1/396 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मोकदम राय	पिता	मुची राम राय

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **5रुपये**  
**स्वीकृत**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण  
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK  
अंचलाधिकारी धनबाद